हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचाण
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री राम नारायण धाणका IRS (Retd)
संरक्षक
मो. 9829069242

कालू लाल भील
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 7726914880

डॉ. नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धाणका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाबी
मो. [illegible]414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजी लाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
रतन कुमार सिंह घाणका
मो. 9413609242

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
हरिशंकर भील
मो. 9928746005

उदयपुर:
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक 65730 दिनांक : 25.07.2023

श्रीमान सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

विषय -डी पी सी के माध्यम से एससी / एसटी अभ्यार्थी के निदेशक पद पर चयन हेतु अपनायी जा रही प्रतिक्रिया पर तुरंत प्रतिबन्ध लगाने हेतु जन शिकायत

आदरणीय,

विनम्र निवेदन है कि यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान का मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में लम्बित एक याचिका में शपथपत्र देकर यह तथ्य स्पष्ट किया गया है और आर आवेदन के जवाब में .आई.टी.**Ministry of Trible affairs (C&LM) Division** द्वारा जारी पत्र क्रमांक **11030/01/2013/C&LM-1** दिनांक प्रति) 26.08.2013 (संलग्नको जारी पत्र के जरिये यह स्पष्ट किया गया है कि मीणा **(Meena)** समुदाय अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदिवासी सुगन लाल भील की याचिका संख्या में **13978/2013** मेंआदेश जारी करते हुये राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को पाबंद किया (प्रति संलग्न) गया है कि मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाए।

दुर्भायवश वोटों की राजनीति के चलते और सशक्त, जमींदार, राजशाही मीणा **(Meena)** समुदाय के दबाव में आकर राजस्थान सरकार कोई भी उचित कार्यवाही करने में लाचार है। इस लाचारी का फायदा उठाते हुये मीणा **(Meena)** समुदाय के कुछ लोग सुनियोजित योजना के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में घुसपैठ करने में लगे हुये है ताकि वहां बैठकर मीणा **(Meena)** समुदाय को अविधिक रूप से मीना **(Mina)** के नाम से अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करवाते रहे और कोई व्यवधान आये तो उसका अविधिक समाधान अनुसूचित जनजाति आयोग से ही करवा दिया जाये।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है की आपके अधीनस्थ एससी / एसटी अभ्यार्थियों का चयन निदेशक पदों पर करने हेतु शीघ्र ही प्रतिक्रिया की जा रही है। जिन अभ्यार्थियों की सूचि यूपीएससी को चयन हेतु भेजी गयी है उन अभ्यार्थियों की विजिलेंस स्वीकृति नहीं ली गयी है तथा उनके प्रमाण पत्रों का डीओपीटी नई दिल्ली के नोटिफिकेशन के आधार पर कोई जांच नहीं की गयी है और उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की भी जांच नहीं की गयी हैं। अतः चयन प्रतिक्रिया शुरू करने से पूर्व उन सभी अभ्यार्थियों की वी.सी. जाति प्रमाण प्रपत्रों की जांच शैक्षणिक योग्यता की जांच किया जाना जनहित में उचित है एवं उन लाखों लोगो के साथ न्यायिक प्रतिक्रिया का पालन करना अधिक न्यायोचित होगा एवं उचित प्रतिवाधियों को चयन प्रतिक्रिया का लाभ हो सकेगा। आवश्यकता की स्थिति में उचित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जायेंगे। आप द्वारा जन शिकायत पर की गयी उचित कार्यवाही से तुरंत अवगत कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

TRDhanka

रामनारायण धाणका, IRS
संयोजक